

13.5.22 पत्रावली पेश हुई। वकील कार्या उपाध्येत।
वकील कार्याओं द्वारा अपाथियों को नोटिस जारी
है। वकील कार्या से वास्तविक नोटिस व तलवाना
पेश नहीं किया गया है अपाथियों को न्यायालय समय
तक बार-बार आनासतगवाने पर भी नोटिस उपाध्येत
नहीं आये।

आज: प्रथम बार अन्तर्गत धारा 212 राही है।
वास्तविक नोटिस व तलवाना पेश नहीं करने पर
अन्तर्गत आदेश 09 नियम 05 से तहत वारिस
नियम किया जाता है। पत्रावली के सब श्रुमाए होकर
जम्बर से नाम होकर दालिले दफ्तर हो। निर्णय
पुल न्यायालय में सुनाया गया।

